

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART-IV)

Government of National Capital Territory of Delhi
(HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT)
5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.

Annexure 'A'

F. No. 1/6/2024/HP-I/Estt./427 to 435

Dated: 28.02.2025

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 176 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) read with Government of India Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 2506(E) dated 28.06.2024, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi hereby declares that with effect from 28/02/2025, the officer in-charge of a police station shall, on receipt of every information relating to the commission of an offence which is made punishable for seven years or more, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offence and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device.

In the Name and by order of
Lieutenant Governor of NCT of Delhi.



(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Addl. Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
2. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
3. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner, GNCT, Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi.
5. The Principal Secretary, (Law & Judicial), GNCT, Delhi.
6. The Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, jai Singh road, New Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, GNCT, Delhi.
8. The Deputy Secretary (GAD Cord.), GNCT, Delhi.
9. Personal file/Guard file.



(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग)

पांचवां तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

फा. सं. 1/6/2024/गृ0पु0-I/स्था0/427 से 435

दिनांक: 28/02/2025

अधिसूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 176 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि दिनांक 28/02/2025 से, किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, किसी ऐसे अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना के प्राप्त होने पर, जिसमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है, अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल का दौरा कराएगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से ओर उनके नाम पर

21.02.2025

(राजीव कुमार त्यागी)

उप सचिव (गृह-I)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा. सं. 1/6/2024/गृ0पु0-I/स्था0/427 से 435

दिनांक: 28/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
4. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव, (वि0 एवं न्या0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप सचिव (सा0प्र0वि0 समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. व्यक्तिगत फाइल/गार्ड फाइल।

21.02.2025

(राजीव कुमार त्यागी)

उप सचिव (गृह-I)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

**Government of National Capital Territory of Delhi
(HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT)
5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.**

Annexure 'B'

F. No. 1/2/2025/HP-I/Estt./436 to 444

Dated: 28/02/2025

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 174 of The BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023 (ACT 46 of 2023) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 2506 (E) dated 28.06.2024, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is pleased to frame the following Rules:-

1. Short title and Commencement: -

- (i) These rules may be called as "Non-Cognizable Offences Report Rules, 2025 ;"
- (ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:-(1) In these rules unless the context otherwise requires:-

- (i) "Information" means the information received under sub-section (1) of Section 174 of the Sanhita;
 - (ii) "Offence" means 'non-cognizable offence' as defined under clause (o) of sub-section (1) of Section 2 of the Sanhita;
 - (iii) "Officer in charge of a police station" means the officer in charge as defined under clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of the Sanhita;
 - (iv) "Police Station" means the place as defined under clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Sanhita;
 - (v) 'Sanhita' means The Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, 2023;
- (2) The words and expressions used in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the Sanhita.

3. Recording of Information:-

- (i) Every information received under section 174 (1) of the Sanhita shall be converted into Non Cognizable Offence Information Report (NCR) on Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) and entered in Integrated Investigation Form-XVI (I.I.F.-XVI) as at **Annexure-A**.
- (ii) A print out of the Non Cognizable Offence Information Report recorded under clause 3(i) shall be downloaded/printed and kept in **Register-IA** in Police Station records.
- (iii) The information recorded under clause 3(i) shall be forwarded to the Magistrate fortnightly without fail.



- (iv) The name of the Court, the complainant advised to approach, must be mentioned in Para 7 of Form No. IIF-XVI.

In the Name and by order of
Lieutenant Governor of NCT of Delhi.


(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

F. No. 1/2/2025/HP-I/Estt./436 to 444

Dated: 28/02/2025

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Addl. Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
2. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
3. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner, GNCT, Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi.
5. The Principal Secretary, (Law & Judicial), GNCT, Delhi.
6. The Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, jai Singh road, New Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, GNCT, Delhi.
8. The Deputy Secretary (GAD Cord.), GNCT, Delhi.
9. Guard file.


(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

N.C.R
NON COGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT
In respect of Non Cognizable Offence
(Under Section 174 BNSS)

एन.सी.आर
असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट
असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में
(अंतर्गत धारा 174 मा.ना.सु.सं.)

PS District NCR No (असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन) Date (दिनांक):

1. Acts & Sections of law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ)

S.No. (क्रम सं.)	Act (s) (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))
------------------	-------------------	-----------------------

2. Place of occurrence (घटना का स्थान)

(a Information Received at P.S (थाने पर प्राप्त सूचना)

Date (दिनांक)

Time (समय)

(b General Diary Reference (संदर्भित रोजनामचा)

G.D. No. (रोजनामचा सं.)

G.D. Time (रोजनामचा समय)

(c Occurrence Date (घटना दिनांक):

Time Range (समयावधि):

(d Place (स्थान):

3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता)

Name (नाम)

S.No. (क्रम सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	
2	Permanent Address	

4. Name, Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(1) a) Name

b) Father's name (पिता का नाम):

c) Age (आयु):

From

To

d) Residence

S.No. (क्रम सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
------------------	------------------------------	---------------

5. NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण)

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपत्ति का विवरण ,यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)

S.No. (क्रम सं.)	Property Type (संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)
------------------	-----------------------------------	---

7. R.O.A.C (पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है):

(a) Name of the Court (न्यायालय का नाम) :

(b) Reason of Investigation under section 174(2) BNSS:

(बीएनएस की धारा 174(2) के तहत जांच का कारण) :

A

21/5/2021

8. Informant is advised to seek help in concerned court (सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।): -

Signature/Thumb impression of the
Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान) :

Signature of Officer (अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम)

Rank (पद)

No. (सं.):

A

राजीव कुलश्री

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग)
पांचवां तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

फा. सं. 1/2/2025/गृ0पु0-I/स्था0/436 से 444

दिनांक: 28/02/2025

अधिसूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 174 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : --

- (i) इन नियमों को "असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट नियमावली, 2025" कहा जाए;
- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "सूचना" का अभिप्राय संहिता की धारा 174 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त सूचना से है;
 - (ii) "अपराध" का अभिप्राय संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अंतर्गत यथा परिभाषित 'असंज्ञेय अपराध' से है;
 - (iii) "पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी" का अभिप्राय संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रभारी अधिकारी से है ;
 - (iv) "पुलिस स्टेशन" का अभिप्राय संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थान से है;
 - (v) 'संहिता' का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो संहिता में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

3. सूचना का अभिलेखन:-

- (i) संहिता की धारा 174 (1) के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक सूचना को अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) पर असंज्ञेय अपराध सूचना रिपोर्ट (एनसीआर) में परिवर्तित किया जाएगा और अनुलग्नक-क के अनुसार एकीकृत अन्वेषण प्रपत्र-XVI (I.I.F.-XVI) में दर्ज किया जाएगा।
- (ii) खंड 3 (i) के अन्तर्गत दर्ज असंज्ञेय अपराध सूचना रिपोर्ट का प्रिंटआउट डाउनलोड/प्रिंट किया जाएगा तथा पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में रजिस्टर-Iक में रखा जाएगा।
- (iii) खंड 3(i) के अंतर्गत दर्ज सूचना हर पखवाड़े बिना चूक के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

21/3/25 राजी

(iv) जिस न्यायालय में शिकायतकर्ता को जाने की सलाह दी गई है उसका नाम प्रपत्र संख्या IIF-XVI के पैरा 7 में अवश्य उल्लेखित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से ओर उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी

(राजीव कुमार त्यागी)
उप सचिव (गृह-I)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा. सं. 1/2/2025/गृ0पु0-I/स्था0/436 से 444

दिनांक: 28/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
4. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव, (वि0 एवं न्या0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप सचिव (सा0प्र0वि0 समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. गार्ड फाइल।

राजीव कुमार त्यागी

(राजीव कुमार त्यागी)
उप सचिव (गृह-I)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

N.C.R
NON COGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT
In respect of Non Cognizable Offence
(Under Section 174 BNSS)

एन.सी.आर
असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट
असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में
(अंतर्गत धारा 174 भा.ना.सु.सं.)

PS District NCR No (असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन) Date (दिनांक):

1. Acts & Sections of law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ)

S.No. (क्रम सं.)	Act (s) (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))
------------------	-------------------	-----------------------

2. Place of occurrence (घटना का स्थान)

(a) Information Received at P.S (थाने पर प्राप्त सूचना)

Date (दिनांक)

Time (समय)

(b) General Diary Reference (संदर्भित रोजनामचा)

G.D. No. (रोजनामचा सं.)

G.D. Time (रोजनामचा समय)

(c) Occurrence Date (घटना दिनांक):

Time Range (समयावधि):

(d) Place (स्थान):

3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता)

Name (नाम)

S.No. (क्रम सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	
2	Permanent Address	

4. Name, Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(1) a) Name

b) Father's name (पिता का नाम):

c) Age (आयु): From To

d) Residence

S.No. (क्रम सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
------------------	------------------------------	---------------

5. NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण)

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपत्ति का विवरण, यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)

S.No. (क्रम सं.)	Property Type (संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)
------------------	-----------------------------------	---

7. R.O.A.C (पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है):

(a) Name of the Court (न्यायालय का नाम) :

(b) Reason of Investigation under section 174(2) BNSS:

(बीएनएसएस की धारा 174(2) के तहत जांच का कारण) :

A

21.5.2024

8. Informant is advised to seek help in concerned court (सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई):

Signature/Thumb impression of the
Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान) :

A

Signature of Officer (अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम)

Rank (पद)

No. (सं.):

राजीव कुमार

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART-IV)

Government of National Capital Territory of Delhi
(HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT)
5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.

F. No. 1/3/2024/HP-I/Estt./454 to 462

dated 28.02.2025

Annexure 'D'

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 497 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023), read with Notification bearing S.O. No. 2506(E) dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and Commencement-

- (i) These rules may be called the 'Delhi BNSS (Identification of Case Property) Rules, 2025'.
- (ii) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires:-

- a) 'BNSS' means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
- b) 'competent Court' means the Criminal Court or the Magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial;
- c) 'Rules' mean the Delhi BNSS (Identification of Case Property) Rules, 2024;
- d) 'property' means the property as referred to in Explanation to sub-section (1) of Section 497 of BNSS;

(2) All other words and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS.

3. Production of property before the competent Court- Where any property is produced before the competent Court, the person producing the property shall produce the seizure memo or any document(s) containing the description of the property for perusal of the competent Court.

4. Preparation of statement of identification of case property- When any property is produced before the competent Court during investigation, inquiry or trial, the competent Court shall, within a period of fourteen days from the



production of the property before it, prepare a statement of such property containing its description in the Form as specified in **Schedule 1** appended to these Rules:

Provided that if any test identification proceedings are required to be carried out in respect of the said property, the same shall be completed before the preparation of the statement of identification of case property.

5. Photographs, videography etc.- (1) The competent Court shall cause to be taken photocopies where applicable, photographs from all angles and if necessary, videography on mobile phone or any electronic media of the property produced before it.

(2) Where the property produced is such of which samples are required to be taken such as liquor bottles/pouches etc., the competent Court shall cause to be taken samples of the property as well as photographs of the entire lot of the seized property and if necessary, videography on mobile phone or any electronic media.

6. Production of property during trial: The actual production of the property shall not be insisted upon during the trial and the photocopies where applicable, photographs along with the video-recording if any, sample, if any and statement of identification of case property shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under the Sanhita.

By order and in the name of
The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

F. No. 1/3/2024/HP-I/Estt./454 to 462

dated 28.02.2025

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Addl. Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
2. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
3. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner, GNCT, Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi.
5. The Principal Secretary, (Law & Judicial), GNCT, Delhi.
6. The Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, jai Singh road, New Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, GNCT, Delhi.
8. The Deputy Secretary (GAD Cord.), GNCT, Delhi.
8. Personal file/Guard file.


(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

SCHEDULE 1

FORM

(under Section 497(2) BNSS)

STATEMENT OF IDENTIFICATION OF CASE PROPERTY

1. FIR No.....dated.....under section(s)
2. Police Station:
3. Name of the property:
4. Description and number of property/article, including quantity, where applicable.
5. Nature of the property: Perishable or non-perishable:
6. Date of receipt/seizure of property by the police:
7. From whom received/seized:
8. Date of production of the property before the court:
9. Whether the photographs/photocopies/videography of the property/article have been taken:
10. Whether sample of property taken or not:
11. Date of test identification proceedings, if any, in respect of the property:
12. Any remarks with respect to the property:

(Signature of the Presiding Officer)

Name and designation of the Presiding Officer

DATED:



(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(गृह पुलिस-1/स्थापना विभाग)
पांचवा तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली

फा0 सं0 1/3/2024/गृ0पु0-1/स्था0/454 से 462

दिनांक: 28/02/2025

अधिसूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना एसओ संख्या 2506(ई) दिनांक 28.06.2024 के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 497 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-

- (i) इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (केस संपत्ति की पहचान) नियमावली, 2025' कहा जाए।
- (ii) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
- (iii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- क) 'बीएनएसएस' का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से है;
 - ख) 'सक्षम न्यायालय' का अभिप्राय आपराधिक न्यायालय या मजिस्ट्रेट से है जिसे मामले का संज्ञान लेने या विचारण के लिए सौंपने का अधिकार है;
 - ग) 'नियम' का अभिप्राय दिल्ली बीएनएसएस (केस संपत्ति की पहचान) नियम, 2024 से है;
 - घ) 'संपत्ति' का अभिप्राय बीएनएसएस की धारा 497 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संपत्ति से है;
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में उन्हें दिया गया है।

- 3. **सक्षम न्यायालय के समक्ष संपत्ति का प्रस्तुतीकरण** - जहां कोई संपत्ति सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, वहां संपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सक्षम न्यायालय के अवलोकनार्थ जल्दी ज्ञापन या संपत्ति का विवरण देने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- 4. **केस संपत्ति की पहचान के विवरण की तैयारी**- जब कोई संपत्ति जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है, तो सक्षम न्यायालय, उसके समक्ष संपत्ति पेश किए जाने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में निर्दिष्ट प्रारूप में उसका विवरण देते हुए ऐसी संपत्ति का विवरण तैयार करेगा।

बशर्ते कि यदि उक्त संपत्ति के संबंध में कोई परीक्षण पहचान कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो उसे केस संपत्ति की पहचान का विवरण तैयार करने से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

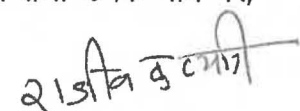
- 5. **फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी इत्यादि** - (1) सक्षम न्यायालय, जहां लागू हो, अपने समक्ष प्रस्तुत संपत्ति की सभी कोणों से फोटोकॉपी कराएगा और यदि आवश्यक हो तो मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियोग्राफी कराएगा।

21/5/24 5:45 PM

(2) जहां प्रस्तुत संपत्ति ऐसी है, जिसके नमूने लिए जाने अपेक्षित हैं, जैसे शराब की बोतलें/पाउच आदि, तो सक्षम न्यायालय संपत्ति के नमूने लेने के साथ-साथ जब्त संपत्ति के संपूर्ण भाग की फोटोग्राफ भी लेगा और यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियोग्राफी भी कराएगा।

6. परीक्षण के दौरान संपत्ति का प्रस्तुतीकरण : परीक्षण के दौरान संपत्ति के वास्तविक प्रस्तुतीकरण पर जोर नहीं दिया जाएगा और जहां प्रयोज्य हो, वहां फोटोकॉपी, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फोटो, नमूना, यदि कोई हो और केस संपत्ति की पहचान का विवरण संहिता के अन्तर्गत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(राजीव कुमार त्यागी)

उप-सचिव (गृह-1)

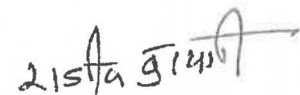
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 1/3/2024/गृ0पु0-1/स्था0/454 से 462

दिनांक: 28/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. आयुक्त पुलिस, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप-सचिव (सा0प्र0वि0/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. व्यक्तिगत फाइल/गार्ड फाइल।



(राजीव कुमार त्यागी)

उप-सचिव (गृह-1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूची 1

प्रपत्र

(बीएनएसएस की धारा 497(2) के अंतर्गत)

केस संपत्ति की पहचान का विवरण

1. एफआईआर संख्यादिनांक.....धारा(ओं) के अंतर्गत
2. पुलिस स्टेशन:
3. संपत्ति का नाम:
4. संपत्ति/वस्तु का विवरण और संख्या, जहां लागू हो, मात्रा सहित।
5. संपत्ति की प्रकृति: नाशवान या अविनाशी:
6. पुलिस द्वारा संपत्ति की प्राप्ति/जब्त की तिथि:
7. किससे प्राप्त/जब्त किया गया:
8. न्यायालय के समक्ष संपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि:
9. क्या संपत्ति/वस्तु की तस्वीरें/फोटोकॉपी/वीडियोग्राफी ली गई है:
10. संपत्ति का नमूना लिया गया है या नहीं:
11. संपत्ति के संबंध में परीक्षण पहचान कार्यवाही की तिथि, यदि कोई हो:
12. संपत्ति के संबंध में कोई टिप्पणी:

(पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर)
पीठासीन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

दिनांक :

21.5.2014 ड. च. पा. गी

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART-IV)
Government of National Capital Territory of Delhi
(HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT)
5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002. *Annexure 'E'*

F. No. 1/4/2024/HP-I/Estt./464 to 472

Dated: 28/02/2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 48 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023), read with Notification bearing S.O. No. 2506(E), dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is pleased to notify the following rules:-

1. Short title and commencement—

- (i) These rules may be called as 'Delhi BNSS (Arrest Information) Rules, 2025'.
- (ii) These rules shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (iii) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) **"Electronic Communication"** means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including telephone, mobile phone, or other wireless communication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form, as defined in section 2(i) of the Sanhita;
- (b) **Mode of Information:** means the mode of intimation regarding arrest to relatives, friend or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person given through electronic mode i.e. mobile phone, social media apps (including whatsapp), sms, Landline phone, email as well as physical mode.
- (c) **Police Station-** means the place as defined under clause (u) of Sub-Section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
- (d) **"Sanhita"** means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023).



(e) **"State Government"** means the administrator appointed under article 239 of Constitution for National Capital Territory of Delhi and designated as Lieutenant Governor by the President.

(2) All other words and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS.

3. Every Police Officer or other person making any arrest under "Sanhita", shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district.
4. Every Police Station shall maintain a register for entering the details in respect of arrested person(s) and an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person as given at **Schedule-I**.
5. **Saving of the powers of the Court:** Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Court as given in the Sanhita or any other law for the time being in force.

By order and in the Name of
Lieutenant Governor of NCT of Delhi.


(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Addl. Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
2. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
3. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner, GNCT, Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi.
5. The Principal Secretary, (Law & Judicial), GNCT, Delhi.
6. The Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, jai Singh road, New Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, GNCT, Delhi.
8. The Deputy Secretary (GAD Cord.), GNCT, Delhi.
9. Guard file.


(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

Schedule-I

(Section 48(3) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)
(Refer Rule-4)

Information to be entered in the Arrested Persons Register											
Sr No.	FIR/ DD No, U/S, Date & Time	Name Address and Phone No. of Person arrested/Detain ed	Name & Rank of officer making arrest/de tention.	Date & Time of Arres t.	Place of Arrest.	Name, Address & Tel No. to whom information given and relation with the arrested person.	Date, Time and mode of inform ation given to the relativ e/frien d etc of the arreste d person	Wheth er Inspec tion Memo prepar ed or not.	Wheth er Dossie r search slip prepar ed.	Whether given address of the accused found correct or not.	Name & Rank of address verifying officer.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग)

5 वीं तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपीओ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

फा0 सं0 1/4/2024/गृ0पु0-I/स्था0/464 से 472

दिनांक: 28/02/2025

अधिसूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना एसओ संख्या 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम को अधिसूचित करते हैं: -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-

- (i) इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (गिरफ्तारी सूचना) नियमावली, 2025' कहा जाए।
- (ii) ये नियम सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
- (iii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

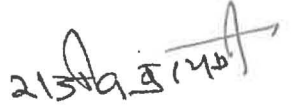
2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "इलेक्ट्रॉनिक संचार" का अभिप्राय संहिता की धारा 2(i) में यथा परिभाषित टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस संचार उपकरण या कंप्यूटर, या ऑडियो-वीडियो प्लेयर या कैमरा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या एक व्यक्ति से उपकरण को या एक उपकरण से दूसरे व्यक्ति को) किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के संचार से है।
 - (ख) "सूचना का माध्यम" का अभिप्राय रिश्तेदारों, मित्रों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने के माध्यम से है, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ऐप (व्हाट्सएप सहित), एसएमएस, लैंडलाइन फोन, ईमेल के साथ-साथ भौतिक माध्यम से बताया या नामित किया जा सकता है;
 - (ग) "पुलिस स्टेशन" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थान से है;
 - (घ) "संहिता" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) से है;
 - (ङ) "राज्य सरकार" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक से है और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया है।
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

21/3/2025

3. "संहिता" के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में तत्काल जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है, उसके किसी रिश्तेदार, मित्र या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजनार्थ प्रकट या नामित किया गया है तथा जिले के निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को भी सूचना देगा ।
4. प्रत्येक पुलिस स्टेशन गिरफ्तार व्यक्ति (व्यक्तियों) के संबंध में विवरणों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा अनुसूची-1 में दिए गए के अनुसार इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है ।
5. न्यायालय की शक्तियों की व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई न्यायालय की शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से ओर उनके नाम पर,



(राजीव कुमार त्यागी)

उप सचिव (गृह-1)

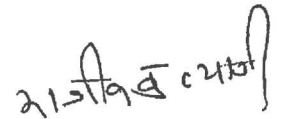
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 1/4/2024/गृ0पु0-I/स्था0/464 से 472

दिनांक: 28/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
4. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव, (वि0 एवं न्या0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप सचिव (सा0प्र0वि0 समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. गार्ड फाइल।



(राजीव कुमार त्यागी)

उप सचिव (गृह-1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूची-I

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 48(3))

(नियम-4 देखें)

गिरफ्तार व्यक्तियों के रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली सूचना											
गिर सं०	एफआईआर/डीडी संख्या, यू/एस, दिनांक और समय	गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम, पता और दूरभाष संख्या	गिरफ्तारी करने वाले / हिरासत में लेने वाले अधिकारी का नाम एवं रैंक	गिरफ्तारी की तिथि एवं समय	गिरफ्तारी का स्थान	जिसे सूचना दी गई उसका नाम, पता और टेलीफोन नम्बर तथा गिरफ्तार व्यक्ति से उसका संबंध	गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार / मित्र आदि को दी गई सूचना की तिथि, समय और माध्यम	क्या निरीक्षण जापन तैयार किया गया है या नहीं	क्या डोजियर खोज पर्ची तैयार की गई है	क्या अभियुक्त का दिया गया पता सही पाया है या नहीं	पते को सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम एवं रैंक

राजीव कुलपती

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART-IV)**Government of National Capital Territory of Delhi****(HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT)****5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.****F. No. 1/1/2025/HP-I/Estt./473 to 481****Dated:28/02/2025****NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 173 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023), read with Notification bearing S.O. No. 2506(E), dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is pleased to notify the following rules:-

1. Short title and commencement—

- (i) These rules may be called as 'Delhi BNSS (First Information Report) Rules, 2025'.
- (ii) These rules shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (iii) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions: (1) In these rules unless the context otherwise requires-

- (i) **"Electronic Communication"** means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including telephone, mobile phone, or other wireless communication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form, as defined in section 2(i) of the Sanhita;
- (ii) **"Information"** means the information received orally, in writing or by electronic communication under clause (i) and (ii) of sub-section (1) of Section 173 of the Sanhita;
- (iii) **"Offence"** means the cognizable offence as defined under clause (g) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
- (iv) **"Officer in charge of a police station"** means the officer in charge as defined under clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
- (v) **"Police Station"** means the place as defined under clause (u) of Sub-Section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023,
- (vi) **'Sanhita'** means The Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023).



(2) All other words and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS.

3. Recording of Information:-

(i) Every information received under section 173(1) of the Sanhita shall be converted into First Information Report (FIR) on Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) and entered in Integrated Investigation Form-I (I.I.F.-I) as at **Annexure-A**.

Provided that if the information is received by electronic form, the FIR shall be issued only after the informant has signed it within three days.

(ii) A print out of the First Information Report recorded under clause 3(i) shall be downloaded/printed and kept in **Register-I** in Police Station records.

By order and in the Name of
Lieutenant Governor of NCT of Delhi.



(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Addl. Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
2. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
3. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner, GNCT, Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi.
5. The Principal Secretary, (Law & Judicial), GNCT, Delhi.
6. The Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, jai Singh road, New Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, GNCT, Delhi.
8. The Deputy Secretary (GAD Cord.), GNCT, Delhi.
9. Guard file.



(RAJIV KUMAR TYAGI)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

प्रथम सूचना रिपोर्ट
FIRST INFORMATION REPORT
(भारतीय सुरक्षा संहिता 173 के अन्तर्गत)

(Under Section 173 BNSS)

1. जिला..... थाना..... वर्ष..... प्र.सू.रि.सं..... दिनांक.....
District..... PS..... Year..... FIR No..... Dated.....
2. (i) अधिनियम..... धाराएँ.....
Act..... Sections.....
(ii) अधिनियम..... धाराएँ.....
Act..... Sections.....
(iii) अधिनियम..... धाराएँ.....
Act..... Sections.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ.....
(Other Acts & Sections).....
3. (क) अपराध की घटना..... दिनांक से..... दिनांक तक.....
(a) Occurrence of offence..... Day..... Day from..... Day to.....
समय सीमा..... समय से..... समय तक.....
Time Period..... Time from..... Time to.....
(ख) थाने में सूचना प्राप्त हुई..... दिनांक..... समय.....
(b) Information received at P.S..... Date..... Time.....
(ग) सामान्य डायरी संदर्भ: प्रविष्टि सं. समय.....
(c) General Diary Reference: (Entry No.)..... Time.....
4. सूचना का प्रकार..... लिखित/मौखिक/इलेक्ट्रॉनिक.....
- Type of information : Written/Oral/Electronic
5. घटित होने का स्थान : (क) थाने से फासले एवं से दिशा.....
Place of Occurrence (a) Direction and distance from P.S.....
..... गश्त सं. (Beat No.).....
(ख) (b) पता (Address).....
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तो.....
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then:
थाने का नाम..... जिला.....
Name of P.S. District
6. शिकायतकर्ता/सूचनाकार.....
Complainant/Informant:
(क) नाम.....
(a) Name
(ख) पिता/पति का नाम.....
(b) Father's/Husband's Name
(ग) जन्मतिथि/वर्ष..... (घ) राष्ट्रियता.....
(c) Date/Year of Birth..... (d) Nationality.....
(ङ) पारपत्र सं. जारी करने की तिथि..... जारी करने का स्थान.....
(e) Passport No..... Date of issue..... Place of issue.....
(च) व्यवसाय.....
(f) Occupation.....
(छ) पता.....
(g) Address
(ज) टेलिफोन नं.
(j) Tel No
7. ज्ञात/संदेहास्पद/अज्ञात सिद्ध दोषियों का पूरा ब्यौरा दिजिए (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)
(1)
(2)

A

21/01/2021

8. शिकायतकर्ता/सूचनाकार द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से रिपोर्ट करने के कारण
Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
9. चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति का ब्यौरा दिजिए (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
Particulars of properties stolen (Attach separate sheet, if necessary)
10. चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति का मूल्य
Total value of property stolen
11. मृत्यु की जांच रिपोर्ट/ अप्राकृतिक मृत्यु केस संख्या, यदि कोई हो
Inquest/Report/U.D. case No., if any.
12. प्र.सू.रि. (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
F.I.R. contents (Attach separate sheet, if requested)
13. की गई कार्रवाई (Action taken) चूंकि उक्त सूचना, मद सं. 2 पर उल्लिखित धाराओं के अर्न्तगत अपराध होने का पता चलता है: (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2) :
- (1) मामला पंजीकृत किया और जांच आरम्भ की गई या (Registered the case and took up the investigation or)
- (2) श्री/श्रीमती/कु. जांच अधिकारी का नाम/(Directed Sh./Smt./Km (Name of I.O.)..... पद(Rank).....
(सं.) No..... को जांच आरम्भ करने के निर्देश दिये गए या (to take up the investigation or)
- (3) जिन कारणों से जांच करने से इन्कार किया गया (Refused investigation due to) या Or
- (4) मामला स्थानान्तरित किया गया, थाने का नाम (Transferred to P.S.)जिला (District).....on
क्षेत्राधिकार की दृष्टि से (point of jurisdiction).
- (प्र.सू.रि. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले को पढ़कर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई।)
- F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost
- पढ़कर सुनाया और सही पाया गया। (R.O.A.C)

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Signature of Officer in charge, Police Station

14. (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले के
हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)
Signature/Thumb impression
of the complainant/informant.
- नाम (Name).....
पद (Rank).....संख्या(No.).....

15. न्यायालय को भेजने की तिथि और समय (Date and time of despatch to the court).....

प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 की संलग्नक
Attachment to item 7 of First Information Report

संदिग्ध/अभियुक्त की शारीरिक बनावट, विकृतियाँ तथा अन्य विवरण (यदि ज्ञात हों/देखे गए हों)
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused : (If known/seen)

क्र. सं. Sl. No.	लिंग Sex	जन्मतिथि/ वर्ष Date/Year of Birth	शारीरिक बनावट Build	कद (से.मी. में) Height (cms.)	रंग Complexion	पहचान के चिन्ह Identification Mark (s)
1	2	3	4	5	6	7

विकृतियाँ/विशिष्टियाँ Deformities/ Peculiarities	दाँत Teeth	बाल Hair	आँखें Eyes	आदतें Habit(s)	पहनावा Dress Habit(s)
8	9	10	11	12	13

भाषा/बोली Language/ Dialect	शरीर के किस हिस्से पर, निम्नलिखित चिन्ह मौजूद है ? Which place of body the following sign present				
	जले हुए का Burn Mark	धवल रोग Leucoderma	मस्सा Mole	घाव Scar	गुदे हुए का Tattoo
14	15	16	17	18	19

इन मदों में प्रविष्टि तभी की जाएगी यदि शिकायतकर्ता/इतिहास देने वाला व्यक्ति, संदिग्ध/अभियुक्त के बारे में एक या एक से अधिक विवरण देता है।
These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

A

राजीव ड. पाटी

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग)

पांचवां तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

फा. सं. 1/1/2025/गृ0पु0-I/स्था0/473 से 481

दिनांक: 28/02/2025

अधिसूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना एस0ओ0 संख्या 2506 (ई) के साथ पठित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 173 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम को अधिसूचित करते हैं: —

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—

- (i) इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (प्रथम सूचना रिपोर्ट) नियमावली, 2025' कहा जाए।
- (ii) ये नियम सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
- (iii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (i) "इलेक्ट्रॉनिक संचार" का अभिप्राय संहिता की धारा 2(i) में यथा परिभाषित टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस संचार उपकरण या कंप्यूटर, या ऑडियो-वीडियो प्लेयर या कैमरा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या एक व्यक्ति से उपकरण को या एक उपकरण से दूसरे व्यक्ति को) किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के संचार से है।
 - (ii) "सूचना" का अभिप्राय संहिता की धारा 173 की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) के अन्तर्गत मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा प्राप्त सूचना से है;
 - (iii) "अपराध" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत यथा परिभाषित संज्ञेय अपराध से है;
 - (iv) "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रभारी अधिकारी से है;
 - (v) "पुलिस स्टेशन" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थान से है;
 - (vi) "संहिता" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) से है।
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।



3. सूचना का अभिलेखन:-

- (i) संहिता की धारा 173(1) के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक सूचना को अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में परिवर्तित किया जाएगा और अनुलग्नक-क के अनुसार एकीकृत अन्वेषण प्रपत्र-I (आई.आई.एफ.-I) में दर्ज किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त होती है तो एफआईआर केवल तभी जारी की जाएगी जब सूचना देने वाले ने तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों।

- (ii) खंड 3(i) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रिंटआउट डाउनलोड/प्रिंट किया जाएगा तथा पुलिस स्टेशन के अभिलेखों में रजिस्टर-I में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से ओर उनके नाम पर,


(राजीव कुमार त्यागी)

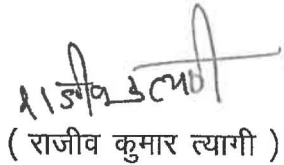
उप सचिव (गृह-I)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा. सं. 1/1/2025/गृ0पु0-I/स्था0/473 से 481

दिनांक: 28/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
4. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव, (वि0 एवं न्या0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप सचिव (सा0प्र0वि0 समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. गार्ड फाइल।


(राजीव कुमार त्यागी)

उप सचिव (गृह-I)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PART-IV)

**Government of National Capital Territory of Delhi
(HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT)
5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.**

Annexure 'G'

F. No. 1/3/2025/HP-I/Estt./490 to 498

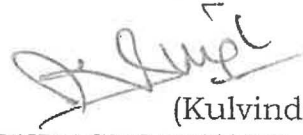
Dated: 01/03/2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clauses (i) and (iii) of Sub-Section (3) and Sub-Section (9) of Section 193 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, read with Notification being S.O. No. 2506 (E), dated 28-06-2024, of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor, GNCT of Delhi, hereby declares that the Police Report under clauses (i) and (iii) of Sub-Section (3) and Sub-Section (9) of Section 193 of the above said Sanhita, 2023, shall be submitted by the Police, before the concerned Court, in the Integrated Investigation **Form-V (IIF-V) (Annexure-A)**.

Also, the information of progress of the investigation and action taken in view of the provision(s) of clauses (ii) and (iii) of Sub-Section (3) of Section 193, shall be communicated to the complainant/informant/the victim, by the Officer In-charge of the Police Station concerned, as per the details given in Proforma **(Annexure-B)** /telephone call/e-mail/through any other electronic mode.

By order and in the name of
The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Kulvinder Singh)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

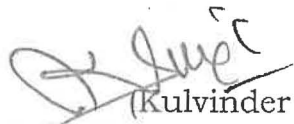


F. No. 1/3/2025/HP-I/Estt./490 to 498

Dated: 01/03/2025

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Addl. Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
2. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
3. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner, GNCT, Delhi 5, Sham Nath Marg, Delhi.
5. The Principal Secretary, (Law & Judicial), GNCT, Delhi.
6. The Commissioner of Police, Delhi Police Headquarter, jai Singh road, New Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, GNCT, Delhi.
8. The Deputy Secretary (GAD Cord.), GNCT, Delhi.
9. Guard file.


(Kulvinder Singh)
DEPUTY SECRETARY (HOME-I)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

अंतिम फॉर्म/रिपोर्ट

FINAL FORM/ REPORT

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 193 के अन्तर्गत)

(Under Section 193 BNSS)

माननीय न्यायालय में.

IN THE COURT OF.....

1. जिला थाना वर्ष प्र.सू.रि.सं. दिनांक
District.....P.S.....Year..... FIR No..... (Date).....
2. अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या. (Final Report / Charge Sheet No.).....
3. दिनांक (Date).....
4. (i) अधिनियम धाराएँ
Act..... Sections.....
- (ii) अधिनियम धाराएँ
Act..... Sections.....
- (iii) अधिनियम धाराएँ
Act..... Sections.....&
- (v) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ
(Other Acts & Sections).....
5. अंतिम फॉर्म/रिपोर्ट के प्रकार: आरोप पत्र / साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया / एफआर (पता नहीं चला) / एफआर (लापता) / अभियुक्त मर चुका है / अपराध घटित नहीं हुआ
Type of Final Form/Report: Charge Sheet / Not charge sheeted for want of evidence /FR Undetected/FR Untraced / FR offence abated /Unoccurred .
6. यदि, एफ. आर घटित नहीं हुई : गलत / तथ्य की गलती /कानून की गलती/ असंज्ञेय / सिविल प्रवर्ति
If FR Unoccurred: False/Mistake of Fact/Mistake of Law/Non-cognizable/Civil Nature
7. यदि आरोप पत्र: मूल/अनुपूरक
If Chargesheet : Original / Supplementary.

Signature

अनुलग्नक

8. जाँच अधिकारी का नाम (Name of the I.O.). पद (Rank)
(पेटी सं.) Belt No..... पी.आई.एस सं. (PIS No.).....

9. (क) शिकायतकर्ता का नाम/ सूचना देने वाला
(a) Name of complainant / informant
(ख) पिता/पति का नाम
(b) (Father's / Husband's name).....

10. जाँच के दौरान जब्त और छोड़ी गई संपत्तियों / वस्तुएं / प्रलेखों का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अगल शीट लगाएं):-
Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon (separate list can be attached, if necessary).

क्रं. सं. Sl. No.	सम्पत्ति विवरण Property description	अनुमानित मूल्य (रु.में) Estimated value (in Rs.)	थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं. P.S. Property Register No.	जिससे / जहाँ वसूली / जब्त की गई From whom/ where recovered or seized	निपटान Disposal
1	2	3	4	5	6

11. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/साक्ष्य की अभिरक्षा का क्रम (धारा 193(3) (i) बी एन एस एस के अनुसार (हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/साक्ष्य के लिए अलग टेबल बनायें)
Sequence of custody of electronic device/Evidence (As per section 193 (3) (i) BNSS:- (A separate table shall be made for each device/evidence)

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का नाम और विवरण	ट्रांसैक्शन की तिथि Date of Transaction	द्वारा सौंप दिया गया (नाम और पद) Handed over by (Name & Rank)	द्वारा प्राप्त (नाम और पद) Received by (Name & Rank)	Purpose of Handover	संदर्भ संख्या (जैसे डीडी एंट्री या सड़क प्रमाणपत्र/एफएसएल पावती संख्या) Reference No. (eg. DD Entry
--------------------------------------	--	--	---	---------------------	--

[Signature]

[Signature]

Description and Details of electronic Evidence					or Road Certificate/FSL Acknowledgment No.(s))

12. आरोपित अपराधी व्यक्ति का विवरण: (प्रत्येक आरोपित अपराधी के लिए अलग शीट का उपयोग करें)
Particulars of accused persons charge-sheeted: (Use separate sheet for each accused)

क्रम संख्या /Sl. No.....

- (i) नाम (Name)क्या सत्यापित (Whether verified).....
(ii) पिता/पति का नाम (Father's/Husband's name)
(iii) दिन/ जन्म का वर्ष (Date/ Year of birth).....
(iv) लिंग (Sex)
(v) राष्ट्रियता (Nationality).....
(vi) आधार नंबर (Aadhaar No.).....
(vii) पैन कार्ड नं. (PAN Card No.)
(viii) संपर्क नंबर (Mobile No.).....
(ix) ईमेल आईडी (Email ID.).....
(x) पासपोर्ट संख्या (Passport No.).....जारी करने की तिथि (Date of Issue)
जारी करने का स्थान (Place of Issue).....
(xi) धर्म (Religion)
(xii) क्या अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग (Whether SC/ST/OBC).....
(xiii) व्यवसाय (Occupation).....

(xiv) पता (Address):- क्या सत्यापित (Whether verified).....

S. No. (क्रम संख्या)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1.	वर्तमान पता Present Address	
2.	स्थायी पता Permanent Address	

- (xv) अस्थाई अपराधी संख्या (Provisional criminal No.).....

Signature
Signature
Signature

- (xvi) स्थाई अपराधी संख्या (यदि जानकारी हो (Regular Criminal No. (if known).....
- (xvii) गिरफ्तारी की तिथि (Date of arrest)
- (xviii) जमानत पर रिहाई की तिथि (Date of release on bail)
- (xix) जिस तिथि को कोर्ट में भेजा गया (Date on which forwarded to court).....
- (xx) अधिनियम एवं धारा के अधीन (Under Acts & Sections) :-

क्रम संख्या S. No.	अधिनियम Act	धाराएँ Sections

- (xxi) (पूर्व दोष सिद्ध मामले के विवरण सहित) (Previous convictions with case references):-

Sl.No. (क्र.सं.)	FIR No. (प्र.सु.रि.स.)	State (राज्य)	District (जिला)	Police Station (थाना)	Description of case (मामले का विवरण)	Details of Conviction/ Acquittal (सजा/आरो पमुक्त का विवरण)

- (xxii) अपराधी की स्थिति
प्रेषित / पुलिस द्वारा जमानत / कोर्ट द्वारा जमानत / न्यायिक हिरासत में / फरारी / दोष सिद्ध अपराधी/ बाउंड डाउन
Status of the accused: Forwarded / Bailed by police / Bailed by court / Judicial custody / Absconding /
Proclaimed offender/Bound down

- (xxiii) जमानती / प्रतिभूति का नाम एवं पता (Details of bailers / sureties):

Name (नाम):.....

Father's /Husband's Name (पिता/पति का नाम):-.....

Occupation (व्यवसाय):-.....

Contact No. (संपर्क सूत्र).....

Signature
Signature

Address (पता):

S. No. (क्रम संख्या)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)	संपर्क नंबर Contact No.	आधार नंबर Aadhaar No	वोटर कार्ड नं. Voter Card No.	पैन कार्ड नं. PAN Card No.
1.	वर्तमान पता Present Address					
2.	स्थायी पता Permanent Address					

13. अभियुक्त व्यक्ति का विवरण - आरोपी नहीं (संदिग्ध) (प्रत्येक संदिग्ध के लिए अलग पृष्ठ नत्थी करें)
Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect) : (Use separate sheet for each suspect)

क्रम संख्या(Sl. No).....

(i) नाम (Name)सत्यापित (Whether verified).....

(ii) पिता/पति का नाम (Father's/Husband's Name)

(iii) जन्मतिथि/वर्ष (Date/Year of birth)

(iv) लिंग (Sex)(v) राष्ट्रियता (Nationality)

(vi) पासपोर्ट सं. (Passport No.).....जारी करने की तिथि (Date of Issue).....

जारी करने का स्थान(Place of Issue).....

(vii) धर्म (Religion)(viii) क्या अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (Whether SC/ST/OBC)

(ix) व्यवसाय (Occupation)

(x) पता (Address).....

क्या सत्यापित है? (Whether verified).....

[Signature]

[Signature]

- (xi) अनन्तिम अपराधी संख्या (Provisional criminal No.).....
- (xii) संदेह अनुमोदित (Suspicion approved :) हाँ/नहीं (Yes/No)
- (xiii) अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति (Status of the accused (suspect):
पुलिस द्वारा जमानत पर/न्यायालय द्वारा जमानत पर/न्यायिक हिरासत में/गिरफ्तार नहीं किया
Bailed by police/Bailed by court/ Judicial custody/Not arrested
- (xiv) अधिनियम एवं धाराएँ (Under Acts & Sections):-

क्रम संख्या S. No.	अधिनियम Act	धाराएँ Sections

- (xv) आरोपित ना होने के कारण सहित कोई विशेष टिप्पणी:
Any Special remarks including reasons for not charge sheeting.....

.....

14. पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण: (Particulars of witnesses to be examined:)

क्र.सं Sl. No.	नाम और पिता/पति का नाम Name & Father's/Husband's name	आयु Age	पता Address	आधार नंबर और ईमेल आईडी Aadhar No. and email ID	व्यवसाय Occupation	संपर्क सूत्र Contact No	प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार Type of evidence to be tendered
1.							

15. उद्धृत/विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड सहित दस्तावेजों का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)
Particulars of Documents including electronic and digital records cited/relied upon (attach separate sheet if required)

क्र.सं Sl. No.	दस्तावेज का विवरण Details of the document	पृष्ठों की संख्या Number of pages	पेजिंग Paging	मुकदमे के दौरान दस्तावेज को किसके द्वारा साबित किया जाएगा, गवाहों की क्रम संख्या By whom the document will be proved during trial, serial numbers of witness
1.				
2				

[Handwritten signatures and marks]

16. यदि प्र.सू. रिपोर्ट झूठी है तो भा.न.सं. की धारा 217/248 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण
If FIR. is false, indicate action taken or proposed to be taken u/s 217/248 BNS

17. प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम: (Result of Laboratory analysis).....

18. क्या महिला की मेडिकल जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है, जब जांच बीएनएसएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के तहत है? {धारा 193(3)(i)(h) BNSS के अनुसार} (हां या नहीं)
Whether the report of medical examination of the woman has been attached? Whether investigation relates to an offence u/s 64, 65, 66, 67, 68, 70 or 71 of the BNSS. {as per Section 193(3)(i)(h)} (YES/NO)

19. मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य: (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें) Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)

20. जारी किए नोटिस (Refer Notice served): हाँ/नहीं(Yes/No) दिनांक
(Date).....

(पावती नत्थी करें)

(Acknowledgement to be placed)

21. प्रेषण की तिथि (Despatched on)

22. क्या सूचनादाता /पीड़ित/परिजनों को जांच की प्रगति के बारे में 90 दिनों के भीतर सूचित कर दिया गया है?: {धारा 193(3)(ii) बीएनएसएस के अनुसार} (हां/नहीं)
Whether the informant/victim/next of kin have been informed about the progress of the investigation within 90 days?
: { as per section193(3)(ii) BNSS} (Yes/No)

23. क्या सूचनादाता /पीड़ित/परिजनों को जांच के तहत मामले की अंतिम स्थिति के बारे में सूचित किया गया है ? : {धारा 193(3)(iii) बीएनएसएस के अनुसार} (हां/नहीं)
Whether the informant/victim/next of kin have been informed about the final status of the case under investigation?:
{ as per section193(3)(iii) BNSS} (Yes/No)

24. क्या बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8, या 10 के तहत अपराधों के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज करने की तारीख से दो महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है?{धारा 193(2) BNSS के अनुसार} (हां या नहीं)।

If the Charge-sheet has been submitted in relation to offences u/s 64,65,66,67, 68, 70, 71 of the BNS or u/s 4, 6, 8, or 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, within the stipulated timeframe of two months from the date of recording the information by the officer in charge of the police station. {as per 193(2) BNSS} (YES/NO).

[Signature]

[Signature]

25. प्रतियों, संलग्न दस्तावेजों की कुल संख्या, जो किसी आरोपी या पीड़ित को प्रदान की जानी है (यदि एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) (धारा 230, 193(8) BNSS के अनुसार)। (यदि ई-चालान संलग्न है तो प्रतियां)
Total Number of copies, enclosed documents, which have to be provided to an accused and victim (if represented by an Advocate) (as per section 230 & 193(8) BNSS). (Copies, if e-challan attached)

26. यदि ऐसे किसी भी बयान का कोई हिस्सा प्रासंगिक नहीं है या आरोपी व्यक्ति को इसका खुलासा करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, तो कारणों के साथ क्या एक नोट संलग्न किया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाए कि वह आरोपी को दी जाने वाली प्रतियों से उस हिस्से को बाहर कर दे (धारा 193(7) के अनुसार) बीएनएसएस: (हां या नहीं)।

Whether a note, with reasons, requesting the Magistrate to exclude any part of any such statement that is not relevant or its disclosure to accused person(s) is not essential in the interest of justice, from the copies to be granted to the accused, has been appended? (as per section 193(7) BNSS) (Yes/No)

27. क्या सभी दस्तावेज, या उसके प्रासंगिक उद्धरण जिस पर अभियोजन भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, संलग्न किया गया है {धारा 193(6)(a) BNSS के अनुसार} (हाँ/नहीं)।

Whether all documents, or relevant extracts thereof, on which prosecution proposes to rely, have been attached (as per Section 193(6)(a) BNSS) (YES/NO).

28. क्या धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए बयान संलग्न किए गए हैं ? {धारा 193(6)(b) BNSS के अनुसार} (हाँ/नहीं)।

Whether statements recorded u/s 180 BNSS have been attached? {as per 193(6)(b) BNSS} (YES/NO).

29. क्या आगे की जांच (धारा 193(9) BNSS के प्रावधान अनुसार) करने के लिए ट्रायल कोर्ट की अनिवार्य अनुमति प्राप्त की गई है और ऐसी जांच 90 दिनों की अवधि के साथ पूरी की गई है? (हां नहीं)

Has mandatory permission of the trial court been obtained to conduct further investigation (as per proviso of section 193(9) BNSS) and such investigation has been completed with a period of ninety days? (Yes/No)

Signature of Investigating Officer
submitting final report/charge sheet
अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले
जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (Name).....

पद (Rank).....

(पैटी सं.) Belt No

पी.आई.एस सं. (PIS No.).....



पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
इंस्पेक्टर/एसएचओ

Signature of Officer in charge of Police Station
Inspector/SHO

नाम (Name).....

पद (Rank).....

(पेटी सं.) Belt No

पी.आई.एस सं. (PIS No.).....

एसीपी/सब डिवीजन द्वारा अग्रेषित

Forwarded by ACP/Sub.Division

नाम (Name).....

पद (Rank).....

पी.आई.एस सं. (PIS No.).....





Annexure-B

अनुलग्नक-ख

Format for providing information to the informant/victim regarding progress of investigation with in a period of 90 days or at the time of submission of final report.

90 दिनों की अवधि में या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय जांच की प्रगति के बारे में शिकायतकर्ता /पीड़ित को जानकारी प्रदान करने का प्रारूप।

(Details of Informant/Victim)

(शिकायतकर्ता / पीड़ित का विवरण)

Sub: Intimation regarding progress of investigation u/s 193(3) (ii) (iii) BNSS, 2023

विषय: धारा 193(3)(ii) (iii) बीएनएसएस, 2023 के तहत जांच की प्रगति के बारे में सूचना ।

It is intimated that progress of investigation of the case FIR No.____ is as follows:

यह सूचित किया जाता है कि मामले की जांच की प्रगति एफआईआर संख्या ____ इस प्रकार है:

1. Brief Details of chargesheet (s)submitted
प्रस्तुत आरोपपत्र का संक्षिप्त विवरण
2. Any other relevant information
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

(Signature and details of IO of the case)

(मामले के आईओ के हस्ताक्षर और विवरण)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग)
5वां तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

फा0 सं0 1/3/2025/गृ0पु0-I/स्था0/490 से 498

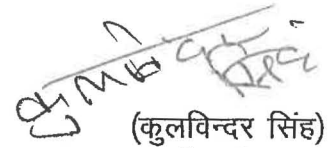
दिनांक:01/03/2025

अधिसूचना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या एस0ओ02506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 की उपधारा (3) के खंड (i) तथा (iii) एवं उपधारा (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त संहिता, 2023 की धारा 193 की उपधारा (3) के खंड (i) तथा (iii) एवं उपधारा (9) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट संबंधित न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा एकीकृत जांच प्रपत्र-V (अनुलग्नक-क) में प्रस्तुत की जाएगी।

साथ ही, धारा 193 की उपधारा (3) के खंड (ii) तथा (iii) के प्रावधान (प्रावधानों) के दृष्टिगत जांच की प्रगति एवं की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रोफार्मा (अनुलग्नक-ख) में दिए गए विवरण के अनुसार/टेलीफोन कॉल/ई-मेल/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता/पीड़ित को संप्रेषित की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(कुलविन्दर सिंह)

उप सचिव (गृह-I)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 1/3/2025/गृ0पु0-I/स्था0/490 से 498

दिनांक : 01/03/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
4. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (विधि एवं न्यायि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उप-सचिव (सा0प्रशा0विभा0/समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. गार्ड फाइल



(कुलविन्दर सिंह)

उप सचिव (गृह-I)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

